भारत सरकार

कार्यालय आयुक्त,केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर ::रॉंची ।

व्यापार सूचना सं0 - 02/2011(सेवा कर)

दिनांक : 26.09.2011

विषय :- कंट्री ऑफ ओरिजीन सर्टिफिकेट (COOC) जारी करने के लिए चार्ज की गई फीस पर चेम्बर ऑफ कॉमर्स -- सेवा कर के संबंध में :-

व्यापारी वर्ग, उद्योग एवं सभी संबंधितों का ध्यान ``कंट्री ऑफ ओरिजीन सर्टिफिकेट (COOC)`` जारी करने के लिए चार्ज की गई फीस पर चेम्बर ऑफ कॉमर्स -- सेवा कर पर वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की फाइल संख्या 332/11/2011-टी.आर.यू. के जरिए निर्गत दिनांक 19 अगस्त,2011 के परिपत्र संख्या - 145/14/2011-एस.टी.की ओर आकृष्ट किया जाता है :-

``कंट्री ऑफ ओरिजीन सर्टिफिकेट (COOC)`` जारी करने के लिए चार्ज की गई फीस पर चेम्बर ऑफ कॉमर्स -- सेवा कर को स्पष्ट किया गया है तथा उक्त स्पष्टीकरण निम्नलिखित रूप में दिया जा रहा है :-

चेम्बर ऑफ कामॅर्स के द्वारा ``कंट्री ऑफ ओरिजीन सर्टिफिकेट (COOC)``को जारी करने के रूप में प्रदान की गई सेवाएँ ``तकनीकी निरीक्षण एवं प्रमाणीकरण सेवा (वित्त अधिनियम,1994 की धारा 65(105) (zzi))`` अथवा ``क्लब एवं एशोसिाएशन सेवा (वित्त अधिनियम,1994 की धारा 105 (zzze))``नामक दो अलग-अलग शीर्षकों के तहत पड़ती हुई प्रतीत होती है। यह भलीभाँति विदित है कि हमारे देश में निर्यातकों को सी.ओ.ओ.सी. (COOC) जारी करने के लिए चेम्बर ऑफ कॉमर्स , एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउन्सिल (ई.पी.सी.)एवं कुछेक व्यापार संघों (Trade Associations) को प्राधिकृत किया गया है। इस तरह सामान्य प्रचलन यह है कि निर्यातकगण कॉमॅसियल इन्वॉयस एवं अन्य कागजातों सहित चेम्बर अथवा किसी अधिकृत एजेन्सी को विहित पपत्र में अपना आवेदन प्रस्तुत करते हैं तथा निर्धारित फीस अदा करते हैं। निर्यात की जानेवाली वस्तुओं से संबंधित सी.ओ.ओ.सी. (COOC) हेतु दिए गए आवेदन एवं अन्य कागजातों में उपलब्ध कराई गई सूचनाओं के सत्यापन के आधार पर चेम्बर ऑफ कॉमर्स अथवा कोई अधिकृत एजेन्सी सी.ओ.ओ.सी. (COOC) जारी करती है।

चेम्बर के द्वारा चलाई जारी उपर्युक्त गतिविधि निर्यातित वस्तुओं की राष्ट्रीय विशिष्टता के प्रमाणीकरण को शामिल करते हुए सीधे तौर पर ``तकनीकी निरीक्षण एवं प्रमाणीकरण सेवा (वित्त अधिनियम,1994 की धारा 65(105) (zzi))``के अंतर्गत आती हैं। कुछ विशेष मामलों में, यदि किन्हीं वस्तुओं की राष्ट्रीय विशिष्टता एवं उनके उद्गम - श्रोत के संयोजन की जाँच करने के उपरांत सी.ओ.ओ.सी. (COOC) जारी की जाती है, तो वित्त अधिनियम,1994 की धारा 65(108) में उपलब्ध कराई गई परिभाषा की अपेक्षाओं की सुस्पष्ट रूप से प्रतिपूर्ति हो जाती है। सी.ओ.ओ.सी. जारी करनेवाला कोई चेम्बर अथवा ई.पी.सी. अथवा कोई एशोसिएशन एक तकनीकी निरीक्षण एवं प्रमाणीकरण एजेन्सी के रूप में कार्य करता है तथा तकनीकी निरीक्षण एवं प्रमाणीकरण सेवा के तहत सी.ओ.ओ.सी. जारी करते हुए **सेवा कर** लगाने का दायित्व निभाता है तथा वित्त अधिनियम,1994 की धारा 65-ए में उपलब्ध वर्गीकरण के सिद्धान्तों को अमल में लाने से जब `क्लब अथवा एसोशिएशन सेवा जैसी जेनरल डिस्क्रिप्शन सेवा की तुलना उपर्युक्त एजेन्सी की सेवाओं से की जाती है, तो यह एक विशिष्ट डिस्क्रिप्शन सेवा सिद्ध होती है।

पुन: निर्यातक वस्तुओं के तकनीकी निरीक्षण एवं प्रमाणीकरण पर अदा किए गए सेवा कर दिनांक 07 जुलाई,2009 की अधिसूचना - 17/2009-एस.टी.के तहत प्रतिदाय (refund)पाने के हकदार होंगे।

(अनूप रंजन राय)
अपर आयुक्त

फा. सं. V(28)28-एस.टी./टी.एन./राँची/11/
प्रति, संलग्न डाक सूची संख्या - I,II एवं III के अनुसार ।

दिनांक: .09.2011

(अनूप रंजन राय)
अपर आयुक्त